पत्रांक –म०भो०/को०–ES-124/2015 -1576

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः–मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोईया–सह–सहायक को राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दी जा रही 500/–रू० प्रतिमाह की राशि में 150/–रू० प्रतिमाह की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से कुल 1650/–रू० (वर्त्तमान में रू० 1500+वृद्धि राशि रू० 150) प्रतिमाह की दर से भुगतान के संबंध में।

मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से बच्चों में पोषण के अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक समानता एवं भाईचारा की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। कुल 70,195 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में रसोईया–सह–सहायक के द्वारा मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, समिति में कुल 2,30,000/–(दो लाख तीस हजार) रसोईया–सह–सहायक कार्यरत हैं। प्रत्येक रसोईया–सह–सहायक को प्रति माह 1500/–(एक हजार पाँच सौ रूपया) मानदेय के रूप में दिया जाता है, तथा एक वर्ष में 10 माह का ही मानदेय दिया जाता है।

2. इस योजना अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं उनके उचित पोषण के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार राज्य के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, मदरसा/मकतब/संस्कृत विद्यालय/राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना अन्तर्गत संचालित विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में वर्ग–I से वर्ग–VIII में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पका–पकाया मध्याह्न भोजन रसोईया–सह–सहायक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

3. मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है। केन्द्र सरकार द्वारा रसोईया–सह–सहायक का मानदेय 1000/–रू० निर्धारित है, जिसमें केन्द्रांश मद की राशि 600/–रू० एवं राज्यांश मद की राशि 400/–रू० है। वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा रसोईया–सह–सहायक को उपर्युक्त राज्यांश की राशि 400/–रू० के अतिरिक्त राज्य भत्ता के रूप में 500/–रू० अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार वर्त्तमान में रसोईया–सह–सहायक को कुल मिलाकर 1500/–रू० प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 900/–रू० तथा केन्द्र सरकार द्वारा 600/–रू० वहन किया जाता है। पुनः राज्य सरकार के द्वारा 01 अप्रैल 2021 से रसोईया–सह–सहायक को निर्धारित मानदेय में 150/–रू० राज्य भत्ता के रूप में अतिरिक्त वृद्धि किया गया है। इस प्रकार रसोईया–सह–सहायक को प्रतिमाह 1650/–रू० मासिक मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा कुल 1050/–रू० तथा केन्द्र सरकार द्वारा 600/–रू० वहन किया जाएगा।

4. आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत बजट उपबंधित कराकर रसोईया–सह–सहायक के मानदेय वृद्धि की जाएगी। कुल कार्यरत रसोईया–सह–सहायक की संख्या 2,30,000 है। 150 रू० प्रतिमाह प्रति रसोईया–सह– सहायक की वृद्धि करने पर 10 माह के लिए कुल 34,50,00,000/–(चौतीस करोड़ पचास लाख रू०) वार्षिक व्यय संभावित है। उक्त राशि का वहन वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट उपबंधित कराकर किया जाएगा।

उपर्युक्त से संबंधित स्वीकृति दिनांक 18.09.2020, मद संख्या–49 के रूप में मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्राप्त हो चुका है। संचिका संख्या–म०भो०/को०–ES-124/2015 पृष्ठ संख्या 28/टि० पर स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 100 प्रति शिक्षा विभाग (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) को प्रेषित की जाय।

24/9/2020

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : म०भो०/को०–ES-124/2015 -1576 पटना, दिनांक 29/09/2020

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/2020

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : म०भो०/को०–ES-124/2015 -1576 पटना, दिनांक 29/09/2020

प्रतिलिपि :– निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी प्रशाखा–5 सहायक/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी), शिक्षा विभाग/लेखापाल, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/2020

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : म०भो०/को०–ES-124/2015 -1576 पटना, दिनांक 29/09/2020

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/2020

सरकार के उप सचिव।